

सेवा में,

कान्छिनी पटेल पुत्री श्री मोहनलाल सिंह

अनुक्रमांक- 349763471

निवासी- म0नं0-33 मवई पडियाना पोस्ट- मवई पडियाना थाना- सरोजनीनगर

जनपद- लखनऊ- 226008


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री बलजीत सिंह  
अनुक्रमांक- 155504398  
निवासी- ग्राम-छज्जपुरा पो0- राहुनंगली थाना- नूरपुर  
जनपद- बिजनौर- 246737.


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री मकखन सिंह

अनुक्रमांक- 101033904

निवासी- ग्राम व पोस्ट- सराफान, पुरदिलनगर थाना- सिकन्दरामऊ

जनपद- हाथरस- 204214

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सुमित कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार

अनुक्रमांक- 101012147

निवासी- म0नं0-24 सेक्टर-20 नियर आगरा रोड चुंगी लालपुर थाना- कोतवाली नगर

जनपद- एटा- 207001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0पु0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बैतिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, एटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री मदन सिंह  
अनुक्रमांक- 355487240  
निवासी- ग्राम व पो0- शाहपुर बदौली थाना- बड़ौत  
जनपद- बागपत-250611

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री गौरव राठी पुत्र श्री एस0पी0राठी  
अनुक्रमांक- 255486063  
निवासी- ग्राम व पोस्ट- हिम्मतपुर सूजती थाना- दोघट  
जनपद- बागपत- 250625

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री शेर सिंह पुत्र श्री नरेश सिंह

अनुक्रमांक- 330214274

निवासी- ग्राम व पो0- रौनीजा विकासखण्ड- जेवर थाना- रबपुरा

जनपद- गौतमबुद्धनगर- 203209

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सत्येन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री श्रवण कुमार यादव

अनुक्रमांक- 203124803

निवासी- ग्राम-टेकुआ पाती टोला महदेईया पो0- भीटी थाना- सहजनवाँ

जनपद- गोरखपुर- 273209

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस अधीक्षक/कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक

उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)



सेवा में,

श्री भुवाल सिंह पुत्र श्री शिवदयाल सिंह

अनुक्रमांक- 203162727

निवासी- ग्राम- कुटहरा कैंतित पो0- श्रीनिवास धाम थाना- जिगना

जनपद- मिर्जापुर-231313

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मिर्जापुर परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री दिव्य कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार  
अनुक्रमांक- 230210856  
निवासी- ग्राम -मुस्सेपुर पाली पो0- नहटौर थाना- नहटौर  
जनपद- बिजनौर-246733

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय  
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री अनुराग मिश्रा पुत्र श्री नन्द किशोर मिश्रा  
अनुक्रमांक- 103070796  
निवासी- ग्राम व पो0- पलिया थाना- सुबेहा  
जनपद- बाराबंकी- 225125

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री निखिल सिंह पुत्र श्री प्रवीण कुमार सिंह

अनुक्रमांक- 333281972

निवासी- कृष्णा नगर कालोनी, देवकली पोस्ट- बेनीगंज रोड थाना- कोतवाली नगर

जनपद- अयोध्या- 224001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री नीतेश कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री हृदय शंकर त्रिपाठी  
अनुक्रमांक- 203067990  
निवासी- ई-5 आवास विकास कालोनी अमेठी थाना- अमेठी  
जनपद- अमेठी- 227405


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के ज्ञानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री कल्पेश सिंह चौधरी पुत्र श्री प्रवीन कुमार  
अनुक्रमांक- 301047223  
निवासी- म0नं0- बी-82 मोतीकुंज एक्सटेंशन थाना- हाइवे  
जनपद- मथुरा- 281001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक= मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री गनेश सिंह  
अनुक्रमांक- 202061002  
निवासी- ग्राम व पो- बसेरी चाहर थाना- कागारौल  
जनपद- आगरा- 283122

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अक्टूबर 24, 2019

सेवा में,

श्री पुनीत वर्मा पुत्र श्री मुन्ना लाल वर्मा  
अनुक्रमांक- 149435262  
निवासी- ग्राम - रमनगरा, पो0- उलरा थाना-बिसवाँ  
जनपद- सीतापुर- 261145


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-257/2019/3006 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादबाद में दिनांक 04.11.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 03.11.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

  
पुलिस अधीक्षक कार्मिक

नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 04.11.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)